अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 368/2013 मो० इनामुल हक —— अपीलार्थी वनाम मो० रिजवानुल हक एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स **–:आदेशः–** प्रस्तुत अपील वाद इनामुल हक द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 17.06.2013ई0 अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 291/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि संदर्भ वाद मौजाः तरियामा, थाना नंः 84 अंचल सिमरीबख्तियारपुर जिलाः सहरसा, तौजी नंः 526, खाता नंः 235, खेसरा नंः 2748 एवं 2729 नया रकवा 18 कट्टा 19 धुर पुराना खाता नं० 10 पु० खेसराः 1907, एवं 1821 चौहद्दी, उत्तरः चौधरी मनसूरल हसन एवं अन्य, दक्षिणः सड़क, पूरबः मजाहिब का घर एवं भाई, पश्चिमः अब्दुल रहमान एवं सह अंशधारक से संबंधित है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि निम्नन्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी अपने भाई मो० अनजारूल हक मो० इम्तयाजूल हक मो० अस्फाक आलम की ओर से वाद दाखिल कर कथन	

किए कि विवादी भूमि अपीलार्थी/वादी के कारोबार में रहता आया वो अन्य भाई अन्य जगह नौकरी पेशा में रहते आए जिस वजह से अपीलार्थी/वादी कर्त्ता के रूप में हैसीयत से वाद दाखिल किए है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी एवं रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी एक ही वारिसान स्वर्गीय चौधरी रहत वक्स से आते हैं तथा निम्नन्यायालय में चौधरी रहत वक्स का वंशवृक्ष दाखिल करते हुए कथन किए कि चौधरी रहत वक्स को दो पत्नी थी। पहली पत्नी से वजीउल हक तथा दूसरी पत्नी से दो लड़की तरीकून निशां एवं हवीवुल निशां तथा एक लड़का अब्दुल जब्बार हुए। अब्दुल जब्बार की मृत्यु बचपन में ही हो गया तथा वजूल हक को एक लड़का इकरामूल हक हुए तथा इकरामूल हक को दो लड़का मो० रिजवानूल हक, मो० नुमालून हक एवं दो लड़की बीबी अजहरी एवं बीवी सखरी, मो० नुमालून हक को दो लड़का गुफानूल एवं इमारानूल हक तथा एक लड़की समसूल निशां हुए तथा बीवी अजहरी को मो० तारीक महताव सदाव दो लड़के तथा इरफाना सवाना, फैजाना एवं नाहिद चार लड़की हुए तथा हबीबुल निशां को एक लड़का जियाउल हक को चार एवं एक लड़की मो० अनजारूल, ईम्तयाजूल हक, मो० इनामूल हक, मो० असफाक आलम लड़के तथा बीवी अंजूम आरा लड़की हुई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि चौधरी राहत वक्स के उत्तराधिकारी के रूप में वाजूल हक आधे हिस्से पर तथा तरीकून निशां एवं हवीवुल निशां आधे हिस्से पर हकदार एवं दखलकार हुए तथा जियाउल हक तरकून निशां एवं हबीमुल निशां के हक वो हिस्से पर हकदार वो दखलकार हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि जियाउल हक के मरने के बाद उनके चारों लड़के एवं एक लड़की संपूर्ण भूमि पर हकदार वो दखलकार हुए वो इकरामुल हक को दो लड़के मो० रिजमानूल हक विपक्षी संख्याः 01 एवं मो० नूमानूल हक के लड़के गुफानूल हक, मो० साहिद इमरानूल हक है तथा इकरामूल हक को दो लड़की वीवी अजहरी खातुन एवं वीवी सरवरी खातुन थी तथा वीवी अजहरी खातुन के लड़के मो० तारिक, मो० महताव, मो० सहरव एवं चार लड़की इरफाना, सवाना, फैजाना, एवं नाहिद हैं तथा सरवरी खातुन विपक्षी संख्याः 01 रिजवानूल हक के सह अंशधारक हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि चौधरी राहत वक्स को खाता पुरानाः 10 मौजाः तरियामा का खतियान पुराना राहत वक्स पिता सुजात अली एवं अन्य हिस्सेदार में अब्दुल रहमान 02 अंश शेख चंदू 01 अंश फजीलात हसन एवं दहावली 01 अंश ममूनत हसन 02 अंश इकवाल हसन, तफफजूल हसन 02 अंश तथा चौधरी

राहत वक्स 1/3 अंश धारक थे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खाता पुरानाः 10, खेसरा पुरानाः 1821 रकवाः 09 कट्ठा 12 धूर एवं पुराना खेसराः 1907, रकवाः 02 बीघा 07 कट्ठा कुल रकवाः 02 बीघा 16 कट्ठा 12 धूर में से 04 अंश भूमि राहत वक्स को हक हिस्सा में रहता आया एवं आपसी बंटवारा में राहत वक्स को 18 कट्ठा 15 धूर भूमि खेसरा पुरानाः 2748 एवं 2729 नया में जियाउल हक के दखल कब्जा में रहता आया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि रिविजनल सर्वे वर्षः 1963–64 प्रारंभ हुआ, जिसमें खाता नयाः 235, खेसरा नयाः 2748, रकवाः 56 डी० एवं 2729, रकवाः 26 डी० का खाता नया जियाउल हक एवं अन्य के नाम कायम हुआ। सर्वे के दौरान ही चकबंदी के नोटिफिकेशन होते ही सर्वे खतियान तैयार हुआ तथा चकबंदी रेकर्ड में जियाउल हक अपीलार्थी/वादी के पिता के करीब बारह वर्षो से दखल कब्जा के अनुसार खुला तथा जियाउल हक के मरने के पश्चात जियाउल हक के लड़के एवं लड़कियो के दखल कब्जा में मद नं० 01 की भूमि आया तथा अपीलाथी/वादी एवं उनके भाई आवासीय एवं जोत के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं तथा विपक्षी भी इकरामूल हक के उत्तराधिकारी है तथा गलत नियत से रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी अपीलार्थी/वादी के भूमि पर दावा लाने लगे तथा प्रश्नगत भूमि पर विवाद उत्पन्न करने लगे। आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी शांतिपूर्ण दखलकब्जा का रिविजनल सर्वे एवं चकबंदी खाता में दर्ज हुआ तथा जमाबंदी 18 कट्ठा 19 धूर खेसरा नं0 1907 का अपीलार्थी/वादी के नाम के साथ अन्य भूमि प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट्स अथवा उनके पिता द्वारा सर्वे के दौरान अथवा अंचल में जमाबंदी कायम होने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। आगे कथन करते हैं कि विवादी प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट्स द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण अपीलार्थी /वादी को रेस्पोण्डेन्ट /विपक्षी के विरूद्ध दाखिल करना जरूरी हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट विपक्षी निम्नन्यायालय के समक्ष मद संख्या 01 की भूमि पर शक्ति बल का प्रयोग कर अपीलार्थी/वादी के शांतिपूर्ण दखल कब्जा पर किसी भी समय विवाद उत्तपन्न कर सकते हैं जिससे मारपीट की संभावना हो सकती है वो रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 01 सरकारी सिरिस्ते में दर्ज 65 वर्षो के रेकर्ड में गलत करना चाहते हैं जबकि मूस्लिम सरियत के मुताबिक वास्तविक अधिकार लड़की को होनी चाहिए आदि अनुताष की मांग निम्नन्यायालय के समक्ष किए वो दावे के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित कागजी साक्ष्य न्यायालय

के समक्ष उपस्थापित किये :–

1. मालगुजारी रसीद जमाबंदी नं०: 304 नामे जियाउल हक वर्ष: 1973–74, 1987–88, 1990–91, एवं 2012–13

2. हाल सर्वे खतियान।

3. पुराना खतियान।

4. नालसी केश नं०: 1225सी०/1978

5. साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 एवं 90 का नियमावली

6. वर्ष 1946 जमीदारी के समक्ष पक्षकारों का जमाबंदी अलग–अलग करना

7. जमींदारी रिटर्न

8. जमींदारी रसीद

9. हाल सर्वे पर्चा

10. दफा 103 ए में वाद सं० 1056/66 में अपीलार्थी/वादी एवं रेस्पोण्डेन्ट विपक्षी के पिता का संयुक्त हस्ताक्षर।

11. राजस्व पदाधिकारी का आदेश

12. सर्वे वाद सं०: 1056/66 में प्रतिवादी के द्वारा दाखिल वंशवृक्ष का नकल वजाप्ता

13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश

14. चकबंदी खतियान

15. पूर्व बंटवारा

16. अपीलार्थी/वादी की जमीन का वाद दाखिल करने के पश्चात प्रतिवादीगण 03, 04, 05, एवं 06 के नाम नाजायज तामिल केवाला।

17. अंचल से प्राप्त इनफोर्मेशन वादी के पक्ष में खतियानी रैयत के द्वारा की गई शपथ–पत्र।

18. अंचल से निर्गत वंशवृक्ष

19. नजरी नक्शा

20. मुस्लिम लॉ

21. केवाला नं०: 13173 दिनांक: 26.10.2009 विक्रेता रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या: 01 के द्वारा तामिला केवाला के पूरब चौहद्दी में अपीलार्थी/वादी का नाम दर्ज है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि "दोनों पक्ष पुराना खतियान को कबूल करते हैं तथा पुराना खतियान के मुताविक अंशधारकों में शेष राहत बक्स को खाता पुराना 10 की एराजी में 04 अंश हिस्सा स्वीकार करते हैं। उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण शेख राहत बक्स को वादी अनुसार दो पत्नी एवं प्रतिवादी के द्वारा एक पत्नी होने का एवं तदनुसार दोनों पक्षों को शेख राहत वक्स के उत्तराधिकारी होने का दावा के कारण उनके संपत्ति में हक हिस्से के बॅटवारें को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः दायर वाद में स्वत्य न्याय निर्णत करने का संश्लिष्ट प्रश्न

निहित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

निम्नन्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में न्यायालय के द्वारा किसी भी पक्षकार के पक्ष में आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। दोनों पक्ष अपने–अपने उत्तराधिकारी हक हकीयत के लिये व्यवहार न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिये स्वतंत्र है। इस आलोक में वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।"

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को बहस सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकनोपरान्त पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन में निम्नन्यायालय के समक्ष दायर वाद अर्जी में अंकित तथ्यों से इतर कोई विचारणीय तथ्य अंकित नहीं हैं। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है साथ ही इस अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/12/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/12/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा